



दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्व का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480

email :- nyaysakshi@gmail.com

रायगढ़, मंगलवार 25 दिसम्बर 2018

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए

वर्ष-01, अंक-86

महत्वपूर्ण एवं खास

लंदन के बराबर हुआ राजधानी का तापमान, और गिरने की आशंका

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान लगातार गिर रहा है। आज सुबह दिल्ली का तापमान लंदन के बराबर पहुंच गया। जहां लंदन का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं दिल्ली का तापमान भी गिरकर 7 पर पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि तापमान अभी और गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच तापमान घटकर 4 डिग्री सेल्सियस या उस से भी कम हो सकता है। लिहाजा दिल्ली में पड़ रही कड़के की ठंड और बढ़ सकती है और सर्द हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय ध्यान रखने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है।

माकपा नेता निरुपम सेन का निधन

कोलकाता (आरएनएस)। माक्सवादी नेता और वाम मोर्चा सरकार के दौरान महत्वपूर्ण उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मंत्री निरुपम सेन का सोमवार सुबह कोलकाता में निधन हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सेन पूर्व पोलिट ब्यूरो के सदस्य भी रहे हैं। वह पिछले दो साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। सेन को वर्ष 2013 में ब्रेन अटैक हुआ था, जिसके बाद वह मल्टी ऑर्गेन फेलियर से गुजर रहे थे। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सेन ने वर्ष 2001 और 2006 में बंधुवन दक्षिण सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। लेकिन 2011 में वह तृणमूल कांग्रेस से हार गए थे।

उत्तर भारत में ठंड की मार, कोहरे से दिल्ली में दमघौंट हुई हवा

नई दिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लोग कड़के की ठंड से रविवार को सर्दी ने पिछले 12 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं सोमवार को भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। स्काईमेट के मुताबिक अगले 48 घंटे तक लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद पारा फिर तेजी से नीचे गिरेगा। उसके बाद सप्ताह के अंत तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली-पनसीआर के लोगों को सुबह से ही सड़कों पर कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कुछ इलाकों में विजिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। वहीं सफदरजंग में पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत की बात करें तो सोमवार को पंजाब के अमृतसर में सबसे कम 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

भारत जैसा सहिष्णु कोई दूसरा मुल्क नहीं: राजनाथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में असहिष्णुता को लेकर फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयान के बारे में जारी बहस के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि हिन्दुस्तान जितनी सहिष्णुता दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। सिंह ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के 114वें स्थापना दिवस समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के हाल के बयान के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, कि भारत में जितनी सहिष्णुता है, वह समझते हैं कि दुनिया में दूँदने से भी नहीं मिलेगी।

मनमोहन राज में हर माह टैप होते थे 9 हजार फोन!

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के राज में हर माह 9 हजार फोन और 500 ईमेल टैप होते थे। इस आरटीआई के अनुसार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013 में सरकारी एजेंसियों को कानूनी तौर पर निगरानी करने के लिए अधिकार दिए गए थे।

भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को 7 साल की सजा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों में उन्हें दोषी करार दिया। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने 68 वर्षीय शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। शरीफ पर 2.5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया। शरीफ फिलहाल भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले पहले से ही में जेल में हैं।



द डॉन के अनुसार, फैसला सुनने के लिए नवाज शरीफ अदालत में मौजूद थे। जज अरशद मलिक ने नवाज के कोर्ट रूम में पहुंचने के कुछ ही मिनटों में अपना संक्षिप्त फैसला सुनाया।

आ रहे थे। हालांकि, शरीफ के पास इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प मौजूद है। बता दें कि इन दोनों मामलों पर पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नवाज शरीफ पर इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। उन्हें 10 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया जा चुका है। पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे शरीफ के कुनबे के लिए यह फैसला बड़ा झटका है। बता दें कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने चुनाव प्रचार में शरीफ परिवार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था।

अटल पर 100 का सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज सोमवार को उनकी स्मृति में सौ रूपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे।

जयते' लिखा होगा। वृत्त पर बायीं ओर भारत और दाहिनी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। अशोक स्तम्भ के नीचे रूपए का प्रतीक चिह्न और अंग्रेजी के अंक में

100 लिखा होगा। सिक्के के पीछे की तरफ वाजपेयी का चित्र होगा। ऊपर के वृत्त पर बायीं ओर देवनागरी में और दाहिनी ओर अंग्रेजी में अटल बिहारी वाजपेयी लिखा होगा। वृत्त के निचले हिस्से में अंग्रेजी के अंकों में 1924 और 2018 लिखा होगा। उल्लेखनीय है कि वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इस वर्ष 16 अगस्त को उनका निधन हो गया था।

कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में असंतोष

सरकार से बाहर हुए मंत्री ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी

बेंगलुरु। कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी सरकार के कैबिनेट विस्तार के तहत शनिवार को मंत्रिमंडल में आठ नए मंत्री शामिल हुए। वहीं दो मंत्रियों कांग्रेस के रमेश जारकिहोली (नगर प्रशासन) और निर्दलीय विधायक आर शंकर (वन एवं पर्यावरण) को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उधर, मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के बाद अब जारकिहोली ने पार्टी छोड़ देने की धमकी दी है। साथ ही पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी सहित कई कांग्रेसी विधायक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाखुश हैं।



रामलिंगा रेड्डी के समर्थकों ने सोमवार को इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता सदानंद गौड़ा ने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के विद्रोहियों का स्वागत करेगी। ऐसे में बीजेपी की इस सियासी पहल से कर्नाटक का राजनीतिक पारा गरमा गया है।

कैबिनेट से बाहर किए जाने पर एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में जारकिहोली ने कहा कि वह किसी भी समय विधायक के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या और कांग्रेसी विधायक भी उनके साथ हैं, रमेश ने कहा, मैं अभी संख्या नहीं बताऊंगा। एक सप्ताह इंतजार कीजिए। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, मैं पिछले तीन महीने से इसके लिए (इस्तीफा) सोच रहा था। मेरा आला कदम क्षेत्र और राज्य की जनता के हित में होगा। सूत्रों के मुताबिक श्रीमंत पाटिल सहित कांग्रेस के एक और विधायक और एमएलसी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले बेंगलुरु में पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर पर उन्हें कैबिनेट से दूर रखने का आरोप लगा चुके हैं। बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को अपने छह महीने पुराने कैबिनेट का विस्तार करते हुए इसमें गठबंधन साझेदार कांग्रेस के आठ सदस्यों को शामिल किया। नए मंत्रियों में सतीश जारकिहोली, एमबी पाटिल, सीएस शिवल्ली, एमटीबी नागराज, ई तुकाराम, पीटी परमेश्वर नाइक, रहीम खान और आरबी थिम्मारपुर शामिल हैं।

गहलोत सरकार में सिर्फ 1 महिला मंत्री, वसुंधरा राजे कैबिनेट में थीं चार

जयपुर। राजस्थान म सोमवार को कैबिनेट का गठन हो गया है। गहलोत सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसमें 13 कैबिनेट जबकि 10 राज्यमंत्री शामिल हैं। हालांकि राजस्थान के कैबिनेट विस्तार में इस बार महिलाओं को नजरअंदाज किया गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 23 मंत्रियों में से सिर्फ एक महिला विधायक ममता भूपेश ने

मंत्रा पद का शपथ ली है। इसकी तुलना में पिछली बार वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री थीं। सोमवार को राजस्थान में हुए कैबिनेट विस्तार में ममता भूपेश ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली है। वह सिकारय निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। बात करें पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार की तो उनके कैबिनेट में 4 महिला मंत्री थीं जिनमें से एक

हाइवे पर 50 गाड़ियां टकराईं, 7 लोगों की मौत

इज्जर (आरएनएस)। हरियाणा के इज्जर में कोहरे के कारण रोहतक-रेवाड़ी हाइवे पर करीब पचास गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई और दर्जनभर घायल हुए हैं। मृतकों में 6 महिलाएँ हैं। जानकारी के अनुसार, इज्जर के बादली प्लाईओवर पर दो गाड़ियां टकरा गईं। इसके बाद पीछे से आ रही स्कूल बस, कार और कई बड़ी गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गईं। इस घटना के बाद हाइवे पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

बंगाल में रथयात्रा पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले को भाजपा ने सुको में दी चुनौती



नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट ने राज्य में पार्टी के रथयात्रा रोकने की कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले को चुनौती दी है। शनिवार को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया था। इस फैसले में भाजपा को रथयात्रा निकालने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देबाशीष कारगुप्ता और जस्टिस शंपा सरकार की डिविजन बेंच ने केस को वापस सिंगल बेंच को भेजते हुए कहा था कि वह राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करें। ज्ञात हो कि बीजेपी द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथयात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दी थी। एकल पीठ के इस आदेश को

सेना के अधिकारी को बर्खास्त करने की सिफारिश रिहाई के 21 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। आर्मी जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने रविवार को सेना के एक मेजर जनरल को दो साल पुराने यौन उलपीड़न के मामले में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की है। जीसीएम की अध्यक्षता करते हुए ले.जनरल रैंक के अधिकारी ने तड़के सुबह साढ़े तीन बजे आरोपी अधिकारी को आईपीसी सेक्शन 354 अ और आर्मी एक्ट 45 के तहत दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया। सेना के अधिकारी ने बताया कि मेजर जनरल के

खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत मुकदमा चल रहा था मगर कोर्ट ने उन्हें सेक्शन 354 अ के तहत भी दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया। दोषी अधिकारी के वकील आनंद कुमार ने कहा कि जीसीएम ने डिफेंस के केस को प्राथमिकता नहीं दी और अब वह कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे।

0-रेप मामले में दोषी को दी सजा

मुंबई (आरएनएस)। इक्कीस साल पहले नासिक के रहने वाले एक शख्स पर 11 वर्षीय लड़की से रेप करने का आरोप लगा था। यही नहीं, आरोपी को उस दौरान बरी भी कर दिया गया था। हालांकि, 21 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले पर ऐक्शन लेते हुए शनिवार को उसे दोषी करार दिया है। जस्टिस इंद्रजीत महंती और विश्वास जाधव की खंडपीठ ने वर्ष 1997 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मछिंद्र सोनवाने (जो घटना के वक्त 19 वर्ष का था और अब उम्र 41 वर्ष है) को रिहा करने के फैसले पलटते हुए उसे रेप के मामले दोषी पाया और सात वर्ष कैद

की सजा सुनाई। दो दशकों की देरी होने पर आरोपी के ऊपर दया बरतने संबंधी याचिका को बेंच ने खारिज कर दिया और सोनवाने को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को 1 लाख रुपये बतौर मुआवजा दे। सोनवाने को सरेंडर करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में सेशन कोर्ट ने गलती करते हुए लापरवाही भरा रवैया अपनाया है। सत्र न्यायालय द्वारा एक एक्सपरे रिपोर्ट को आधार मानकर आरोपी को बरी कर दिया गया था, जिसमें पीड़िता की उम्र 14 वर्ष दिखाई गई है। दो से तीन साल के अंतराल की गलती को ध्यान में रखकर पीड़िता की उम्र को 16 वर्ष निर्धारित किया गया, जो कि उस वक्त सहमति की आयु थी।